न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद–पत्र संख्या :–96/2019 दायर दिनांक: 25.07.2019

ECMS NO:- 2019/00383

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. बालूलाल आत्मज नैनगा जाति गुर्जर निवासी सकतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. लालू आत्मज नैनगा जाति गुर्जर निवासी सकतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
3. गिरिराज आत्मज नैनगा जाति गुर्जर निवासी सकतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

–वादीगण

बनाम

1. जयकिशन आत्मज रामरतन जाति गुर्जर निवासी सकतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. नैना आत्मज गंगाराम जाति गुर्जर निवासी सकतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
3. रामकिशन आत्मज कल्याण जाति गुर्जर निवासी सकतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
4. नरसी आत्मज जयकिशन जाति गुर्जर निवासी सकतपुरा तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
5. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, बीओबी शाखा करवर बून्दी जिला बून्दी ।

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र – अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति:–

1. वादीगण के अभिभाषक श्री राजेन्द्र कुमार नरूका एडवोकेट।

निर्णय दिनांक 03.03.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम सकतपुरा पटवार मण्डल कैथूदा तहसील नैनवां की सम्वत 2072 से 2075 की कृषि भूमि खसरा संख्या 610/52 रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 611/32 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है। जो कि वादीगण उक्त खातेदारी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर कृषि काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 वादीगण से रंजिश रखते है तथा वादीगण की उक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 610/52 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा पर जबरन ताकत के बल पर वादीगण को बेदखल कर कब्जा करना चाहते है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 जबरन ताकत के बल पर वादीगण को खातेदारी की खसरा संख्या 610/52 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर से बेदखल कर कब्जा नहीं करे, भूमि को खुर्द बुर्द नष्ट भ्रष्ट नही करे, वादीगण को फसल बोने व काटने में हस्तक्षेप नहीं करे, वादीगण के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करे ऐसा कार्य न तो स्वयं करे न ही ऐसा किसी अन्य करवाये। वादीगण अपने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, नकल, जमाबन्दी प्रदर्श 1 दिनांक 01.03.2021, नकल नक्सा ट्रेस प्रदर्श 2 दिनांक 01.03.2021, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 दिनांक 01.03.2021 आदि पेश किये। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु सुचित किया गया लेकिन बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण सभी प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.21 11:46:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

पत्रावली, वादपत्र, शपथ–पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड दस्तावेज का अवलोकन किया। वकील वादी की एकपक्षीय बहस को सुना गया। प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज एवं साक्ष्य गवाहों के बयानों का अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः प्रस्तुत वाद–पत्र वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वे जबरन ताकत के बल पर वादीगण की खातेदारी की खसरा संख्या 610/52 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा भूमि पर से बेदखल कर कब्जा नहीं करे, भूमि को खुर्द बुर्द नष्ट भ्रष्ट नही करे, वादीगण को फसल बोने व काटने में हस्तक्षेप नहीं करे, वादीगण के उपयोग उपभोग में हस्तक्षेप नहीं करे ऐसा कार्य न तो स्वयं करे न ही ऐसा किसी अन्य करवाये।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.05.21 11:46:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner